राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(82)न्याय/1993 जयपुर, दिनांक 7.7.2020

:: आज्ञा ::

श्री रामभरोसी शर्मा, उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, करौली द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2020 जो कि जिला कलक्टर, कार्यालय करौली द्वारा दिनांक 16.03.2020 एवं 16.06.2020 को इस विभाग को भिजवाया गया है, के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री रामभरोसी शर्मा को दिनांक 01.09.2020 के अपराह्न पश्चात् से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामभरोसी शर्मा के विरूद्ध आज तक –

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

7.7.2020

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. जिला कलक्टर, कार्यालय करौली।
3. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री रामभरोसी शर्मा, उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, करौली।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

7.7.2020

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx